संख्या-3/2020/554/36-6-2020-5(5)/2020

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2-श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
3-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग-6 लखनऊ दिनॉक 05 मई, 2020

विषय-कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आवृत्त संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत राहत उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार ने कोविड-19 महामारी (पैन्डेमिक) से लड़ने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज की घोषणा की है। उक्त पैकेज का उद्देश्य जहॉ एक ओर कम वेतन वाले कर्मचारियों के रोजगार में व्यवधान को रोकना है, वहीं दूसरी ओर 100 से कम कर्मचारियों को रखने वाले व्यवसायियों की मदद/समर्थन करना है। पैकेज को लागू करने के लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने योजना के दिशा-निर्देशों को जारी किया है। योजना से संबंधित विवरण संलग्न है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आवृत्त ऐसे संस्थान जिनके कर्मचारियों की संख्या अधिकतम् 100 है तथा उसमें 90 प्रतिशत् अथवा उससे ज्यादा कर्मचारी रूपये 15000/- प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले हो, के भविष्य निधि से संबंधित 24 प्रतिशत् (12 प्रतिशत् कर्मचारी$12 प्रतिशत् नियोक्ता) अंशदान की राशि अगले तीन माह तक यथा-मार्च, अप्रैल एवं मई, 2020 का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा।

2- अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उ0प्र0, कानपुर ने अवगत कराया है कि मार्च, 2020 की जमा अद्यतन स्थिति के अनुसार कुल 6250 प्रतिष्ठानों में कार्यरत पात्र 475448

क्रमश:.........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कर्मचारियों के सापेक्ष मात्र 89010 कर्मचारियों को ही रूपया 13.63 करोड़ का लाभ दिया जा सका है। उक्त से स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में प्रतिष्ठानों ने अपने पात्र कर्मचारियों से संबंधित विवरणी जमा नहीं कराया है।

3- अतः कृपया अपने अधीन ऐसे विभागों/निगमों/प्रतिष्ठानों जिनके कर्मचारियों की संख्या अधिकतम् 100 है और 90 या उससे अधिक कर्मचारियों का वेतन धनराशि रूपया 15000/- प्रतिमाह से कम है, को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह मार्च एवं अप्रैल माह का इलेक्ट्रानिक चालान कम रिटर्न (ई0सी0आर0) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंधित पोर्टल पर 15 मई, 2020 के पूर्व अपलोड कर दें, ताकि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत घोषित संदर्भगत राहत पैकेज का लाभ ऐसे कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को मिल सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2020/554(1)/36-6-2020-5(5)/2020-तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उ0प्र0, भविष्य निधि भवन, सर्वोदयनगर, कानपुर-208005 2-क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कानपुर को उनके पत्र संख्या-580/EPF/ACC(UP), दिनांक 05.05.2020 के संदर्भ में।

3-निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उ0प्र0 सर्वोदयनगर, कानपुर।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in